Title: Need to declare Giripar area in Sirmaur district in Himachal Pradesh as a Scheduled Tribe area - Laid.

कर्नल (सेवा नि0) डॉ0 धनीराम शांडिल्य (शिमला): महोदय, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार में बसी "हाटी" जनजाति में सम्मलित सभी उपजातियों के लोग पिछले लगभग 25 वर्षों से अपने इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग शांतिप्रिय ढंग से उठा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाटी जनजाति की प्रस्तावित जातियों में वे सभी लक्षण मौजूद हैं, जिन्हें समाजशास्त्रियों, विद्धानों और विशेाज्ञों ने किसी समुदाय/जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए आवश्यक माना है। इनमें विशेातः देहरादून जिले का जोंसार-बाबर क्षेत्र का जनजातीय क्षेत्र घोषित होना और गिरीपार क्षेत्र के "हाटी" जन समुदाय को इस प्रकार का दर्जा न देना इस मांग का मुख्य आधार है। इन दोनों क्षेत्रों के रहन सहन, कला-संस्कृति, वेशभूाा, खानपान, रस्म-रिवाज, बोल-चाल और मेले त्यौहार एक दूसरे के अनुरूप हैं।

इसके अतिरिक्त "हाटी" समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बहुत पिछड़ी जनजाति है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक सम्पदा की प्रचुरता होने पर भी यहां कोई उद्योग नहीं है। यह मामला लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार के समाज कल्याण विभाग में लम्बित है।

मान्यवर, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध रहेगा कि इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने हेतु संवैधानिक संशोधन करवाने की कृपा करें।